फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : मांगीबाई **विपक्षी : देउबाई**

किस्म मुकदमा –88,188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 39/19**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 08.02.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता वादीयां की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली के पुराने नम्बर 143/13 वाद होकर निर्णय दिनांक 14.07.2017 से स्वीकार की गई थी, जिसकी अपील माननीय न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के यहां की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2019 को निर्णय पारित कर पत्रावल पुनः न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित कर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये थे। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये थे परन्तु प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। वादी द्वारा गवाह पीडब्ल्यू 1 मांगीलाल, पीडब्ल्यू 2 मोतीलाल, पीडब्ल्यू 3 मेघा, पीडब्ल्यू 4 हामा, पीडब्ल्यू 5 भूरालाल प्रस्तुत कर वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन किया। हमने वादीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीयां द्वारा वादग्रस्त भूमि पैतृक होना बताया जो उंकार के नाम दर्ज थी। जो उंकार की मृत्यु के बाद उसके सभी वारिसान के नाम समान रूप से दर्ज होनी चाहिए थी जबकि भूमि अकेले पुत्र भंवरलाल के नाम दर्ज हो गई हैं। उंकार के वारिस भवंरलाल के अलावा तुलसाबाई, मांगीबाई, फेफाबाई पुत्रीयां हैं। जिसमें से तुलसाबाई फौत हो चुकी हैं। वादीयां द्वारा उंकार की 1/2 भूमि पर काबिज होना बताया। वादीयां द्वारा पैतृक भूमि में हिस्सा होने से कब्जेनुसार 1/2 हिस्से की घोषणा का निवेदन किया हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर वाद का किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया गया हैं। वादीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से भूमि वादीयां की पैतृक सम्पति होना जाहिर आया हैं। भूमि पैतृक होने से वादीयां का अपनी पैतृक भूमि में हिस्सेनुसार 1/4 हिस्सा बनता हैं। जिसको घोषणा कराने की अधिकारिणी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। अतः वाद वादीयां आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आराजी न. 3210, 3211, 3212, 3230, 3231, 3232, 3237, 3239, 3240 कुल किता 9 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि में खातेदार भंवरलाल के नाम दर्ज भूमि में से वादीयां को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण, वादीयां के हिस्से कब्जे के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर आलमारी से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Upendra Kumar Sharma Date: 2024.02.23 15:01:23 IST Reason: SelfAttested (उपेन्द्र कुमार शर्मा) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, R.A.S

उनवान

1. श्रीमती मांगीबाई पुत्री उंकार कुम्हार निवासी घासा तह.मावली।

.....वादीयां

बनाम

1. श्रीमती देउबाई पत्नी भंवरलाल कुम्हार निवासी घासा तह. मावली।
2. श्री चुन्नीलाल पिता भंवरलाल कुम्हार निवासी घासा तह. मावली।
3. श्री गोपाल पिता भंवरलाल कुम्हार निवासी घासा तह. मावली।
4. श्री सत्यनारायण पिता भंवरलाल कुम्हार निवासी घासा तह. मावली।
5. श्री हरीश पिता भंवरलाल कुम्हार निवासी घासा तह. मावली।
6. श्रीमती लक्ष्मीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी तुलसीराम कुम्हार निवासी घासा हाल बेदला तह. गिर्वा
7. श्री कपिल पिता राजकुमार कुम्हार निवासी घासा तह. मावली।
8. श्री हिमांशु पिता राजकुमार ना.बा.जरिये संरक्षक श्रीमती मांगीबाई पत्नी राजकुमार कुम्हार निवासी घासा तह. मावली।
9. सुश्री गौरी पुत्री राजकुमार ना.बा. जरिये संरक्षक श्रीमती मांगीबाई पत्नी राजकुमार कुम्हार निवासी घासा तह. मावली।
10. श्रीमती मांगीबाई पत्नी राजकुमार कुम्हार निवासी घासा तह. मावली।
11. श्रीमती फेफाबाई पत्नी गणेश पुत्री उंकार कुम्हार निवासी भेसडा कलां तह. गिर्वा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 39/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00360

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु उपेन्द्र कुमार शर्मा, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आराजी न. 3210, 3211, 3212, 3230, 3231, 3232, 3237, 3239, 3240 कुल किता 9 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि में खातेदार भंवरलाल के नाम दर्ज भूमि में से वादीयां को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण, वादीयां के हिस्से कब्जे के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.02.2024 को जारी की गई।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:23 IST
Reason: SelfAttested